न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी — विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नम्बर — 2021 / 109

दर्ज दिनांक — 01.01.2021

1. रामस्वरूप पुत्र लच्छा जाति रांजोगी निवासी रायपुरा तहसील लालसोट

— (वादी)

बनाम्

1. रमेश पुत्र छीतर जाति संजोगी निवासी रायपुरा तहसील लालसोट
2. उपपंजीयक लालसोट जिला दौसा
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

— (प्रतिवादीगण)

वाद स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1 श्री देवीसिंह चौहान (वकील वादीगण)
2 श्री सुदीप मिश्रा (प्रतिवादी —1)

निर्णय — दिनांक 30/7/24

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाढ अचलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 4 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को वादग्रस्त करार देते हुए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र पेश किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचन किये है कि वादग्रस्त आराजी के हिस्से 1/2 पर वादी एवम शेष हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अवैध रूप से अंकि[illegible] नम्बर 3 मिन रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा थे। तथा खातेदारी वादी के पिता [illegible] संख्या 1 के बाबा एवम प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर लच्छा वल्द [illegible] वल्द बि[illegible] के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिसका अंकन नामान्तरकरण [illegible] है। तदुपरान्त बरवक्त एकीकरण उक्त लच्छा के हिस्से को अलग कर नया नम्बर 4 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला-दौसा (राज०)

कर दी गई परन्तु राजस्व ऐजेन्सी की गलती से खातेदारी अवैध रूप से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व 2 के पति छीतरया उर्फ छीतरया के नाम बडा होने के आधार पर खातेदारी इन्द्राजात कर दिये गये जबकि छीतर उर्फ छीतरया के साथ वादी का भी नाम बतौर खातेदार अंकित होना चाहिए था क्योंकि वादी लच्छा का छोटा पुत्र व छीतर बडा पुत्र था। हांलाकि मौके पर वादी आराजी वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 पर काबिज है। वादी द्वारा अपने बडे भ्राता छीतर उर्फ छीतरया के जीवन कान में कई बार आराजी वादग्रस्त के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहां तो वह आश्वासन देता रहा और लगभग 8 वर्ष पूर्व उसका देहान्त हो गया। देहान्त होने के बाद भी कई बार वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादी के नाम करवाने के लिए कहां तो वे भी केवल आश्वासन ही देते रहे परन्तु आज तक भी खातेदारी इन्द्राजात वादी के नाम नहीं करवाये है। वादी एवम एवम प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा आराजी वादग्रस्त उभयपक्ष की पैतृक सम्पति है। वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वा. लच्छा के प्राकृतिक वारिसान् है इसलिए वादी आराजी वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 की खातेदारी अपने नाम करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादकारण के संबंध में वादी के अभिवचन है कि दिनांक 07.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1व 2 अपने साथ दीगर व्यक्ति को लेकर आराजी वादग्रस्त में वादी के हिस्से के भू भाग पर आ गये तथा वादी से कहने ले कि अब हम इस जमीन का बेचान करेगे। इस पर वाद ने कहा कि यह जमीन मेरे हिस्से की है तुम इसका बेचान नहीं कर सकते हो। इस पर प्रतिवादी संख्या 1,2 ने कहां कि राजस्व रिकॉर्ड में इस मजीन की खातेदारी हमारे नाम है। इसलिए हम इस जमीन का बेचान किसी दीगर व्यक्ति को करेगे तुम्हे जो कुछ करना है सा कर लेना। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की इसी धमकी से बिनाय मुखास्मत पैदा होने के कारण वादी को अपने हकूक की रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजमी आया है। इस प्रकार अभिवचन कर वादी ने वादग्रस्त आराजी वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति तथा वादी के प्रतिवादी छीतर का छोटा भाई होने के तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के हिस्से 1/2 की वादी एवम हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी उद्घोषणा करवाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रेम स्वरूप लामडा उपस्थित आये तथा वकालतनामा पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते जवाब एवम शेष की तलवी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के फौत होने व प्रार्थना पत्र नाम हजाफ पर प्रतिवादी 2 का नाम हजाफ किया जाकर संशोधित शीर्षक पत्रावली में शामिल किया गया। तदुपरान्त प्रतिवा[illegible] की ओर से वकील श्री सुदीप शर्मा ने वकालतनामा पेश किया [illegible] उभयपक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो [illegible] किया गया। [illegible] द्वारा इस आशय का राजीनामा निष्पादित किया है कि वादग्रस्त [illegible] रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बाढ अचलपुरा तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 – 1/2 बराबर हिस्सा है इसलिए राजस्व अभिलेख में वर्णित भूमि में अंकित खातेदारी

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्राजात को लोपित कर उसके स्थान पर 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी एवम 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की जावे इस प्रकार खातेदारी इन्द्राज किये जाने मे वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 सहमत है तथा राजीनाम बिना किसी दाब दबाव के निष्पादित किया है। इस प्रकार राजीनाम निष्पादित कर राजीनमे के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वादी की पहचान वादी के अधिवक्ता श्री देवीसिंह चौहान एवम प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री सुदीप मिश्रा द्वारा की गई। प्रकरण पर उभयपक्षों को सुना गया।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामें के कथनों को दोहराते हुए निष्पादित राजीनामें अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। हमने राजीनामें, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 30.08.1960 ग्राम बाढ अचलपुरा तहसील लालसोट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3 मिन रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी के इन्द्राजात लच्छा पुत्र मांग्या व जैन्या वल्द किसना कौम संजोगी सा0रायपुर तहसील लालसोट के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत हुए है जिसका अंकन आगे की जमाबंदी खाता संख्या 37 सम्वत 2021 में हुआ है। अर्थात आरटीए की धारा 15 के तहत लच्छा को खसरा नम्बर 3 मिन की खातेदारी प्राप्त हुई थी। मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग के यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 3 मिन को मिलाकर नया नम्बर 4 बनाया है जिसका कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा है। एकीकरण विभाग की खतौनी जमाबंदी सम्वत 2021 से वादग्रस्त आराजी के अकेले छीतरया पुत्र लच्छा कौम संजोगी सा0 रायपुर के नाम अंकित होने के तथ्य स्पष्ट है। ग्राम रायपुर तहसील लालसोट की एक अन्य जमाबंदी खसरा नम्बर 1, 121, 130 संवत् 2024 जिसमें खातेदार के कॉलम में छीतर, रामस्वरूप पिता लच्छा जाति संजोगी सा0देह इन्द्राज से मृतक लच्छा के वारिसान् छीतर व रामस्वरूप वादी के होने के तथ्य प्रकट होते है। दूसरा निष्पादित राजीनामा जिसमें प्रतिवादी ने वादी के अनुतोष की स्वीकारोक्ति दी है। विधि के आदेश 23 नियम 3 अनुसार पारिवारिक राजीनामें को मान्यता दी जानी चाहिए वशर्ते राजीनामा दोष रहित हो। प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्व खसरा नम्बर 3 मिन ग्राम बाढ अचलपुरा की खातेदारी आरटीए की धारा 15 के तहत मृतक लच्छा पिता मांग्या को प्राप्त हुई थी जिसके बाद एकीकरण के दौरान उक्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज अकेले छीतरया पुत्र लच्छा के नाम अंकित कर दिया गया जबकि लच्छा के एक अन्य वारिस वादी रामस्वरूप भी था। वारिश होने के तथ्य जमाबंदी रायपुर एवम राजीनामें की रोशनी में ब[illegible] अतः प्रस्तुत राजीनामें अनुसार एवम दस्तावेजी साक्ष्यों से यह [illegible] खसरा नम्बर 4 जो कि उभयपक्ष की [illegible] हिस्से का हकदार है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में नहीं किया गया [illegible]स्वरूप वादी को वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

आराजी का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचना एवम् तथ्यों के परिक्षण उपरान्त वादीगण का वादपत्र विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् साबित है। वादग्रस्त आराजी वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का 1/2 हिस्सा सिद्ध हुआ है। अतः प्रस्तुत साक्ष्यो एवम राजीनामें को ध्यान में रखते हुए वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा के हिस्सा 1/2 का खातेदार वादी रामस्वरूप को उद्घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व अभिलेखों में वादी रामस्वरूप एवम प्रतिवादी रमेश के हिस्सा 1/2, 1/2 के इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर,लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 12:19:41 IST
Reason: SelfAttested